

X (2)

**योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग**  
**मध्यप्रदेश**

क्र. २२९९/२०१२/यो.आ.सां/जि.यो.

भोपाल, दिनांक १३-८-१२

प्रति,

समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश


**विषय: विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष २०१३-१४ बनाने हेतु दिशा-निर्देश ।**

प्रदेश के त्वरित एवं समावेशी विकास के लिए योजना में जन-सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली आज की आवश्यकता है। विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष २०१३-१४ हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ, समय-सीमा, दिशा-निर्देश सलग्न हैं। इस वर्ष से समुदाय द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं एवं विभागीय रिस्पांस प्लान के आधार पर ही जिलों की योजना सीमा निर्धारित की जावेगी। निम्नलिखित बिन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखा जाए:-

- वर्ष २०११-१२ एवं २०१२-१३ की विकेन्द्रीकृत योजना में स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनीटरिंग।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- ग्राम द्वारा प्रस्तावित योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन होना सुनिश्चित रहे।
- समस्त डाटा की गुणवत्ता हेतु नियोजन प्रपत्र ध्यान से भरे जावें जैसे गतिविधि की इकाई, लागत, संबंधित योजना/क्षेत्रक से चिह्नकित/लिंक करना आदि। साथ ही सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि का कार्य त्रुटि रहित हों।
- जिला स्तर के संबंधित विभाग प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण कर रिस्पांस प्लान (Response Plan) अवश्य बनाएं।
- राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना निर्माण को सफल बनाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश के अलावा एक विस्तृत मैन्युअल, विभिन्न प्रशिक्षण मोड्यूल, सॉफ्टवेयर हेतु विशेष मोड्यूल आदि को विकसित किया गया है ताकि विभिन्न मास्टर प्रशिक्षको, नियोजनकर्ताओं को प्रक्रिया की बारीकियाँ एवं समझ विकसित हो सके। राज्य योजना आयोग से आपको ओर भी अधिक प्रशिक्षण सामग्री एवं तकनीकी सहयोग वेबसाइट [www.mp.gov.in/spb](http://www.mp.gov.in/spb) पर उपयोग हेतु उपलब्ध है।

इस प्रणाली को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर की ही महत्वपूर्ण भूमिका है कृपया वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर/नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाइयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए "समेकित जिला योजना" प्रारूप तैयार कराये और निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 01 नवम्बर 2012 राज्य योजना आयोग को प्रेषित करेंगे। जिलों की समेकित जिला योजना को राज्य योजना आयोग में चर्चा उपरान्त अंतिम रूप दिया जायेगा। विश्वास है कि वर्ष 2013-14 की विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में और अधिक जन-उपयोगी बनेगी और आप प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

सलंगन:- विकेन्द्रीकृत नियोजन 2013-14 हेतु दिशा-निर्देश।

  
(एस. आर. मोहंती)


सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क. 2260 / 2012 / यो.आ.सां / जि.यो. /  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13-8-12

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ..... विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त आयुक्त .....संभाग
3. समस्त विभागाध्यक्ष ..... विभाग, भोपाल।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
5. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय सांख्यिकी कार्यालय..... संभाग
6. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
8. कार्यपालक निदेशक, म.प्र.जन अभियान परिषद।
9. समस्त अधिकारी .....राज्य योजना आयोग।

सलंगन:- विकेन्द्रीकृत नियोजन 2013-14 हेतु दिशा-निर्देश।

  
(एस. आर. मोहंती)

सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

## विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2013-14 बनाने हेतु दिशा-निर्देश

विकास के सूचकांकों में राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने के लिये मध्यप्रदेश राज्य को बहलतर विकास की दर हासिल करने की आवश्यकता है। त्वरित एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकेन्द्रीकृत जिला योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में योजनायें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला/वार्ड समिति स्तर पर तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं में कार्यों का चयन स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से किया जाता है एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर समेकन किया जाता है। जिला एवं जनपद स्तरीय स्थानीय निकाय विगत वर्ष की तरह अपने स्तर पर जिलों में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की योजनाओं में नागरिकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण कर उभर कर आई आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रख नियोजन करेंगे। जिला योजना समिति, ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर जिला योजना को अन्तिम रूप देगी।

केन्द्र प्रवर्तित व फ्लैगशिप कार्यक्रमों (MNREGS, SSA, NRHM, ICDS, BRGF etc.) के अन्तर्गत योजना बनाने के लिये ग्राम स्तरीय सहभागी (Participatory) योजना बनाकर संसाधनों के कन्वर्जेंस का लक्ष्य रखा गया है। सभी कार्यक्रमों में अन्तर्क्षेत्रीय (Inter-Sectoral) सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान है। वर्तमान में सभी कार्यक्रमों की योजनायें अलग-अलग लागू करने वाले विभागों द्वारा बनायी जा रही हैं। एकीकृत रूप से विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के लिये संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमता वृद्धि करके जिलों की योजना तैयार करने से न केवल समय एवं संसाधनों की बचत होगी बल्कि कार्यक्रमों के मध्य समन्वय/कन्वर्जेंस (Convergence) भी सुनिश्चित हो सकेगा। महत्वपूर्ण विभागों एवं कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं सहभागिता दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आपके जिलों में संचालित समस्त कार्यक्रमों की "समेकित जिला योजना" बनाई जायेगी। जिला योजना समिति के द्वारा अनुमोदित समेकित जिला योजना में से ही अन्य कार्यक्रमों यथा बी.आर.जी.एफ., एन.आर.एच. एम., एस.एस.ए. आदि की जिला स्तरीय योजनायें तैयार की जायेगी।

### विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाएँ

प्रदेश में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :-

#### **जिला योजना समिति:**

विगत वर्ष की तरह जिला स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण निकायों के मध्य संसाधनों का आवंटन कर क्षेत्रकवार उप समितियाँ बनायी जायेंगी। जिले में विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को जिला योजना समिति संचालित करेगी। नियोजन की प्रक्रिया के दौरान जिले में सेक्टर बनाकर जिला/जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण कराया जावेगा। ग्रामीण एवं नगरीय निकायों से प्राप्त योजना प्रस्तावों का समेकन करके जिला योजना को अन्तिम रूप देगी। जिला योजना का अनुमोदन करके राज्य योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

#### **ग्रामीण क्षेत्र:**

##### **जिला पंचायत:**

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये "जिला स्तरीय नियोजन दल" का गठन किया जायेगा। जिला पंचायत विभिन्न योजनांतर्गत विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाने के लिये उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की योजना बनाने के कार्य को उचित सहयोग प्रदान

करेंगे। जिला स्तरीय नियोजन दल, जनपद स्तरीय नियोजन दल को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा तथा जनपद स्तरीय योजनाओं को समेकन करके जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेगा।

#### जनपद पंचायत:

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के नेतृत्व में "जनपद स्तरीय नियोजन दल" का गठन किया जायेगा। इसी दल में से प्रशिक्षण प्रदान करने में दक्ष 4-5 सदस्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा ग्राम पंचायत स्तरीय "तकनीकी सहायता दल" को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण रखेंगे एवं समय पर कार्यवाही पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही पंचायतों की योजनायें प्राप्त कर डाटा एन्ट्री की व्यवस्था करेगी एवं समेकन कर जनपद पंचायत से अनुमोदन करावेंगे।


#### ग्राम पंचायत:

ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्राम सभा स्तरीय नियोजन के लिये आवश्यक वातावरण निर्माण एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त योजनाओं का समेकन करना है। ग्राम पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिये "तकनीकी सहायता दल" (Technical Support Group - TSG) का गठन किया जायेगा। दल में प्रत्येक क्षेत्रक का यथासंभव एक प्रतिनिधि रखा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक दल में 4 से 6 सदस्य हो सकते हैं। एक दल 2 से 3 ग्राम पंचायतों के समूह (Cluster) को सहायता उपलब्ध करायेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तकनीकी सहायता दल में स्थानीय स्तर पर सक्रिय NGOs, MPRLP, DPIP, जनअभियान परिषद, आदि को भी शामिल किया जा सकता है। तकनीकी सहायता दल ग्राम सभा स्तर पर पंचायत पदाधिकारियों के सहयोग से नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करावेंगे। ग्राम स्तरीय नियोजन दल को नियोजन की प्रक्रिया एवं विभिन्न क्षेत्रकों के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावेंगे ताकि ग्राम सभा योजना तैयार कर सके। ग्राम सभा से तैयार होने वाले योजना प्रारूप को उपलब्ध करावेंगे एवं अनुमोदित योजना ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचवाना सुनिश्चित करेंगे।

#### ग्राम सभा:


ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की कार्यवाही "ग्राम विकास समिति" द्वारा संचालित की जायेगी। यदि किसी ग्राम सभा के लिये ग्राम विकास समिति सक्रिय नहीं है तो व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अर्थाई समिति के रूप में "ग्राम स्तरीय नियोजन समिति" का गठन कर नियोजन प्रक्रिया का संचालन कर सकती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गों (महिलायें, विकलांग आदि) की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, वन समिति इत्यादि जो ग्राम सभा के अंतर्गत हैं को नियोजन हेतु विचार विमर्श में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र



**शहरी क्षेत्र:**

**शहरी विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र**



**जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल :** शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल बनाया जायेगा जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) की मुख्य भूमिका होगी। नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों के संचालन करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करके दल का गठन किया जायेगा। निकायों की योजनायें जिला योजना समिति को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

**नगरीय निकाय स्तरीय नियोजन दल :** प्रत्येक नगरीय निकाय में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये नियोजन दल का गठन किया जावेगा जिसमें नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े हुये विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जावेगा। स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह दल

निकाय स्तर पर वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल को प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध करायेगा। वार्ड स्तरीय योजनाओं का समेकन करके नगरीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG) : 2 से 3 वार्डों पर संचालन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के लिये स्थानीय अधिकारियों/स्वयंसेवी/सामाजिक कार्यकर्ता का तकनीकी सहायता दल गठित किया जायेगा। यह दल मोहल्ला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय कर नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करायेंगे एवं इन योजनाओं को समेकन करके वार्ड स्तरीय योजना तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।

### विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रपत्रों की ऑनलाइन व्यवस्था

जिला योजना वर्ष 2013-14 हेतु गत वर्ष भांति विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रपत्रों की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण स्तर से जानकारी संकलित करने के प्रपत्र- 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4 एवं नगरीय निकायों हेतु प्रपत्र 1, 2, 3, 4 को ऑनलाइन डाउनलोड किया जाए। ऑनलाइन व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि गत वर्ष का डाटा, इस वर्ष बेसलाइन आंकड़े का काम करे एवं गत वर्ष की डाटा प्रविष्टि/जानकारी समस्त प्रपत्रों में प्रिंट होकर ही निकले एवं उनमें से संशोधन, एडीटिंग, अपडेशन एवं नई जानकारी की व्यवस्था भी हो। इस प्रकार की व्यवस्था से जानकारी में दोहराव नहीं होगा, चर्चा का आधार बनेगा, यस्तु स्थिति स्पष्ट होगी एवं स्वीकृत कार्यों की मॉनीटरिंग हो सकेगी। इस ऑनलाइन व्यवस्था से डाटा प्रविष्टि का भार कम होगा व-समय की बचत होगी। प्रत्येक ग्रामीण/नगरीय निकाय के प्रपत्रों को ऑनलाइन डाउनलोड कर संबंधित TSG को नियोजन हेतु प्रदाय करने की जिम्मेदारी जिले की होगी।

प्रपत्र -1 (आधारभूत जानकारी) में नवीनतम जानकारी भरी जानी है तथा अन्य बिन्दुओं की जानकारी ग्रामवासियों से चर्चा कर संशोधन अथवा अपडेशन करें। किन्हीं बिन्दुओं पर गत वर्ष अगर जानकारी अप्राप्त अथवा नहीं भरी है उन जानकारीयों को भी भरा जाए।

प्रपत्र -2 (ग्राम में समस्याओं की वर्तमान स्थिति तथा सेवाओं से संतुष्टि का स्तर) को ऑनलाइन डाउनलोड करने पर गत वर्ष की डाटा प्रविष्टियां दिखाई पड़ेगी जिन्हें ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त अपडेट किया जाना है। (नगरीय निकाय हेतु यही कार्य प्रपत्र-1 हेतु किया जाए)

प्रपत्र- 3A, 3B, 3C, 3D (ग्राम/ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत/जिला पंचायत की कार्य योजनाएं) - वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के अनुमोदित कार्यों की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त भरा जाना है जैसे कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य चालू है तथा कार्य चालू नहीं हुआ है। (यही व्यवस्था नगरीय निकाय प्रपत्र -2 एवं प्रपत्र 3 हेतु भी रहेगी। कृपया ध्यान दें कार्य योजना प्रपत्रों में गत वर्ष की निकायवार जानकारी भरी हुई ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी तथा ग्राम/नगरीय वार्डवासियों से चर्चा कर वर्ष 2013-14 की कार्य योजनाएं दर्शाई जानी है।

प्रपत्र- 4 (पात्र हितप्राप्तियों की सूची) भी नियोजन इकाईवार (ग्रामवार/नगरीय वार्डवार) ऑनलाइन डाउनलोड कर रहवासियों से चर्चा उपरान्त भरा जाए।

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर की प्रस्तावित गतिविधियों की प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पर ऑनलाइन संपादित की जाएगी। इसी प्रकार शहरी निकायों की डाटा प्रविष्टि संबंधित निकाय स्तर पर ऑनलाइन की जाएगी। राज्य योजना आयोग में चर्चा के समय प्रस्तुतिकरण हेतु जिला योजना में प्रपत्र अ-1 से अ-5, प्रपत्र "ब", प्रपत्र "स", एवं प्रपत्र "द" भी ई-मेल द्वारा अलग से भेजे जा रहे हैं। जिले की सभायित योजना सीमा राशि संलग्न है। आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना की राशि में जिले की आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी राज्य योजना आयोग में जिला योजना पर चर्चा के समय कर ली जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013-14 हेतु कार्यक्रम/समय सारणी एवं वित्तीय दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

विकेन्द्रीकृत नियोजन वर्ष 2013-14 हेतु कार्यक्रम एवं समय सारणी

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिला योजना समिति सदस्यों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिये उन्मुखीकरण सत्र</li> <li>● जिल/जनपद स्तरीय/नगरीय निकाय नियोजन दलों का गठन एवं जिला योजना समिति के अध्याधीन सेक्टरों में नियोजन के लिये उप समितियों का गठन करना।             <ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्राम पंचायत स्तरीय एवं नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दलों (TSG) का गठन</li> <li>● जिला स्तर पर प्रशिक्षण (चिन्हित जिला, ब्लॉक एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों का Master Trainer के रूप में)</li> <li>● जनपद/नगरीय निकाय स्तर पर TSG का प्रशिक्षण</li> </ul> </li> </ul>	August 31, 2012 तक
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ग्राम स्तर, मोहल्ला/वार्ड स्तर पर नियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करना एवं ग्राम सभा/वार्ड सभा में प्रस्तावित योजना/कार्यों का अनुमोदन</li> <li>● ग्राम पंचायत पर ग्राम योजनाओं का समेकन</li> <li>● ग्राम/वार्ड सभा की अनुमोदित योजनाओं की समीक्षा और ब्लाक योजना तैयार करना</li> </ul>	Sept.1- 30, 2012
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जनपद स्तर पर एवं नगरीय निकाय स्तर पर डाटा प्रविष्टि, समेकन, प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण, विभागवार रिस्पोस प्लान (Response Plan) बनाना एवं जिला स्तर पर समेकन हेतु भेजा जाना</li> </ul>	Oct.1-14, 2012
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिले के जन-मीडिया, स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, बड़े औद्योगिक इकाइयों और स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके</li> </ul>	Oct. 2012
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिला योजना समिति ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर एवं समस्त विभागों के रिस्पोस प्लान का विश्लेषण कर जिला योजना को अंतिम रूप देना एवं राज्य योजना आयोग को प्रस्ताव भेजना</li> </ul>	Oct.15-31, 2012
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>● राज्य योजना आयोग में जिलों के साथ चर्चा प्रारम्भ</li> </ul>	Nov.1, 2012 से



वित्तीय दिशा-निर्देश:- विकेंद्रीकृत योजना सुदृढीकरण हेतु गत वर्षों के पत्र देखे ।

दिशा-निर्देश	विवरण
ग्रामीण एवं नगरीय निकाय के लिये जिला स्तरीय Master Trainers प्रशिक्षण/कार्यशाला	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ठहरना - 250 रु. तक प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय - 150 रु. तक स्टेशनरी - प्रति प्रतिभागी 50 रु. तक प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
जनपद स्तर पर तकनीकी सहायता दलों (Technical Support Group-TSG) एवं पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय - 100 रु. तक स्टेशनरी - प्रति प्रतिभागी 50 रु. तक प्रशिक्षण में स्थानीय अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि ही भाग लेंगे। अतः ठहरने पर व्यय का प्रावधान नहीं होगा। प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
प्रति ग्रामीण TSG (ग्राम स्तरीय प्रक्रिया संचालन के लिये व्यय)	2000 रु.
प्रति नगरीय TSG (नगरीय वार्ड स्तरीय प्रक्रिया संचालन के लिये व्यय)	500 रु.
डाटा एन्ट्री एवं समेकन कार्य हेतु सेवार्य	आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
वातावरण निर्माण/रेडियो वार्ता/विज्ञापन/फ्लायर आदि	आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।

जिले की संभावित योजना सीमा राशि

जिला योजना वर्ष 2013 -14 (लाख रु. में)					
क्रमांक	जिला	कुल	सामान्य	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना
1	अनूपपुर	18070.00	4890.00	11380.00	1800.00
2	अशोक नगर	10200.00	7000.00	1200.00	2000.00
3	बालाघाट	29610.00	14800.00	10000.00	4810.00
4	बड़वानी	24670.00	5800.00	17300.00	1570.00
5	बैतूल	24800.00	10100.00	12000.00	2700.00
6	भिण्ड	13000.00	8400.00	200.00	4400.00
7	भोपाल	26740.00	18000.00	3340.00	5400.00
8	बुरहानपुर	13610.00	7910.00	4000.00	1700.00
9	छतरपुर	20400.00	10900.00	1500.00	8000.00
10	छिंदवाडा	30490.00	14090.00	13100.00	3300.00
11	दमोह	18900.00	12300.00	2600.00	4000.00
12	दलिया	7930.00	5230.00	270.00	2430.00
13	देवास	15860.00	9460.00	3000.00	3400.00
14	धार	33950.00	8220.00	24000.00	1730.00
15	छिंडोरी	24150.00	5380.00	17000.00	1770.00
16	गुना	16690.00	9800.00	2990.00	3900.00
17	ग्वालियर	16480.00	11130.00	1050.00	4300.00
18	हरदा	8860.00	5000.00	2600.00	1260.00
19	होशंगाबाद	16080.00	9180.00	4400.00	2500.00
20	इन्दौर	28230.00	19970.00	3030.00	5230.00
21	जबलपुर	20500.00	13900.00	3570.00	3030.00
22	झाबुआ	21750.00	3730.00	17550.00	470.00
23	कटनी	15610.00	9640.00	3970.00	2000.00
24	खण्डवा	20910.00	10780.00	7200.00	2930.00
25	खरगौन	30540.00	10870.00	16610.00	3060.00

जिला योजना वर्ष 2013 -14

(लाख रु. में)

क्रमांक	जिला	कुल -	सामान्य	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना
26	मण्डला	27900.00	6870.00	20070.00	960.00
27	मन्द्रसौर	12540.00	8850.00	630.00	3060.00
28	मुरैना	15000.00	10000.00	400.00	4600.00
29	नरसिंहपुर	12330.00	7900.00	2240.00	2190.00
30	नीमच	8790.00	6550.00	640.00	1600.00
31	पन्ना	20930.00	14370.00	2600.00	3960.00
32	रायसेन	19690.00	12480.00	4270.00	2940.00
33	राजगढ़	22110.00	16100.00	1100.00	4910.00
34	रतलाम	16060.00	7600.00	5240.00	3220.00
35	रीवा	26030.00	16400.00	4230.00	5400.00
36	सागर	26030.00	15850.00	2500.00	7680.00
37	सतना	26340.00	16210.00	4900.00	5230.00
38	सीहोर	19300.00	13280.00	2150.00	3870.00
39	सिवनी	24460.00	10890.00	11270.00	2300.00
40	शहडोल	23540.00	6750.00	14260.00	2530.00
41	शाजापुर	13800.00	9400.00	350.00	4050.00
42	श्योपुर	11750.00	5800.00	3850.00	2100.00
43	शिवपुरी	19930.00	11730.00	3310.00	4890.00
44	सीधी	20000.00	10060.00	6640.00	3300.00
45	टीकमगढ़	18450.00	11710.00	980.00	5760.00
46	उज्जैन	21830.00	14430.00	840.00	6560.00
47	उमरिया	16810.00	6960.00	7900.00	1950.00
48	विदिशा	25250.00	17940.00	2300.00	5010.00
49	अलीराजपुर	15700.00	2130.00	13140.00	430.00
50	सिंगरौली	18900.00	9960.00	6060.00	2880.00
	योग	991500.00	516700.00	305730.00	169070.00

